

प्रेषक,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास  
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-6/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)10-11 दिनांक 28 अप्रैल-2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-650/38-9-10-6-बजट/2009, दिनांक 25-4-2010 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास हेतु रू० 300000000/- (रूपये तीस करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

1- आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2- आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3- आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

4- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

5- आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।


6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के आयोजनागत पक्ष अधीन लेखाशीर्षक-2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-05-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के०-75/रा०-25-रा०)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-176 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

  
(अनुराग यादव)  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक:- जीओ-6 / सम्प्रेक्षा / आई०ए०वाई(सामान्य)10-11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 3- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 5- समस्त मंडलायुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 / राज्य योजना आयोग-2 नियोजन अनुभाग-4
- 8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 9- संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 को उनके पत्रांक-650/38-9-10-6-बजट/2009, दिनांक 25-4-2010 के क्रम में।

  
(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(लेखा)  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

पत्र संख्या-जीओ-6/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2010-11, दिनांक 28 अप्रैल-2010 का संलग्नक  
इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि
1	2	3
1	MEERUT	21.79
2	GHAZIABAD	18.60
3	BULANDSHAHAR	29.50
4	G.B. NAGAR*	8.97
5	BAGPAT	5.14
6	SAHARANPUR	41.49
7	MUZAFARNAGAR	34.20
8	MORADABAD	45.00
9	BIJNOR	44.57
10	RAMPUR	26.08
11	J.B.F. NAGAR	13.32
12	BAREILLY	34.01
13	BADAUN	49.01
14	SHAHJAHANPUR	52.35
15	PILIBHIT	44.35
16	AGRA	28.77
17	MAINPURI*	19.70
18	MATHURA	18.31
19	FIROZABAD	19.94
20	ALIGARH	33.72
21	ETAH	17.79
22	KANSHIRAM NAGAR	13.74
23	HATHRAS	16.18
24	JHANSI	11.13
25	JALAUN	12.59
26	LALITPUR	9.19
27	BANDA	11.07
28	HAMIRPUR	7.41
29	MAHOBA	5.61
30	CHITRAKUT	6.76
31	ALLAHABAD	43.51
32	FATEHPUR	38.50
33	PRATAPGARH	42.45
34	KAUSHAMBHI	23.58
35	KANPUR NAGAR	30.45
36	KANPUR DEHAT	29.68
37	ETAWAH	20.87
38	FARRUKHABAD	24.73
39	KANNAUJ	18.37
40	ORRAIYA	20.54
41	VARANASI	23.77
42	GHAZIPUR	42.91
43	JAUNPUR	82.91
44	CHANDALI	20.00
45	MIRZAPUR	27.69
46	SONBHADRA	20.66
47	S. R. NAGAR	16.86
48	LUCKNOW	32.53
49	SITAPUR	106.54
50	UNNAO	59.02


*for [Signature]*

पत्र संख्या-जीओ-6/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2010-11, दिनांक १८ अप्रैल-2010 का संलग्नक  
इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि
1	2	3
51	HARDOI	62.33
52	KHERI	177.28
53	RAE BARELI	54.01
54	GORAKHPUR	82.28
55	DEORIA	89.62
56	KUSHINAGAR	282.98
57	MAHRAJGANJ	74.48
58	BASTI	48.97
59	SIDHARTHANAGAR	30.97
60	S.K.NAGAR	29.90
61	AZAMGARH	63.12
62	MAU	23.96
63	BALLIA	93.44
64	FAIZABAD	32.29
65	BARABANKI	80.03
66	SULTANPUR	47.65
67	AMBEDKARNAGAR	27.17
68	GONDA	91.68
69	BAHRAICH	102.06
70	BALRAMPUR	44.26
71	SHRAWASTI	35.66
	STATE TOTAL	3000.00

(रु० तीस करोड़ मात्र)

  
(महेश कुमार अग्रवाल)  
अपर आयुक्त(लेखा),  
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।

26/4/10

संख्या-650/38-9-10-6 बजट/2009

प्रेषक,  
सीताराम यादव,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास  
उ०प्र०, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक-25 अप्रैल,, 2011

विषय:-इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2010-11 के लिए वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपक पत्र संख्या-27/सम्प्रेक्षा/इं०आ०यो०/2010-11, दिनांक-12 अप्रैल, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वय हेतु वित्तीय वर्ष-2010-2011 के लिए अनुदान संख्या-13 में प्रथम त्रैमास हेतु रू०-3000.00/-लाख(रूपये तीन हजार लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।


CAO  
26/4  
A (2) व-5005  
26/4

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक- 2505 -ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम -702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-05-इन्दिरा आवास योजना ( जिला योजना ) (के0-75/रा-25-रा0)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सकें।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010,दिनांक-26 मार्च,2.010 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,


  
(सीताराम यादव)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-650(1)/38-9-10 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

  
(सुनील कुमार)  
अनुसचिव।

✓

प्रेषक,  
सीताराम यादव,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास  
उ०प्र०, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक-25 अप्रैल, 2011

विषय:-इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2010-11 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपक पत्र संख्या-27/सम्प्रेक्षा/इं०आ०यो०/2010-11, दिनांक-12 अप्रैल, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वय हेतु वित्तीय वर्ष-2010-2011 के लिए अनुदान संख्या-13 में प्रथम त्रैमास हेतु रू०-3000.00/-लाख(रूपये तीन हजार लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।
- 3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।
- 4- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।
- 5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक- 2505 -ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम -702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-05-इन्दिरा आवास योजना ( जिला योजना ) (के0-75/रा-25-रा0)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय पर संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010,दिनांक-26 मार्च,2010 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-650(1)/38-9-10 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)  
अनुसचिव।